संख्या : 27/2021/बी-2-200/दस-2021-244/2021

प्रेषक,

एस. राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनाँक : 26 अगस्त, 2021

विषय : वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिये अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांगों से सम्बन्धित विधान मण्डल द्वारा पारित विनियोग विधेयक श्री राज्यपाल की स्वीकृति के उपरान्त दिनाँक 24 अगस्त, 2021 को उत्तर प्रदेश विनियोग (2021-2022 का अनुपूरक) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या - 22 सन् 2021) के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है ।

2- अतः वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिये अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनाँक 22 मार्च, 2021 के क्रम में निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें -

(1) अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेंगी ।

(2) वित्तीय वर्ष 2021-2022 की शेष अवधि में योजनाओं / परियोजनाओं पर दिनाँक 31 मार्च, 2022 तक व्यय / वास्तविक उपयोग की सीमा तक ही आवश्यक धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जायें ।

(3) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-7/2018/ए-1-08ए.जी./दस-2018-10(50)/2011, दिनाँक 14 मार्च, 2018 द्वारा राज्य सरकार की संचित निधि से धनराशि आहरित कर पी.एल.ए. में रखे जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है । तद्नुसार निदेशित किया जाता है कि प्रशासकीय विभाग वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष धनराशियों को आहरित कर पी.एल.ए. खातों में जमा किये जाने का प्रस्ताव नहीं करेंगे ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) केन्द्र पोषित योजनाओं के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 22 मार्च, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जायें ।

(5) वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में व्यवस्थित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-7/2021-बी-1-588/दस-2021, दिनाँक 12 अगस्त, 2021 द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के संगत राज्यांश के लिये अलग उपशीर्ष "89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश" के अन्तर्गत विभिन्न विस्तृत शीर्ष खोले गये हैं । तद्क्रम में अनुपूरक अनुदान की माँगों में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के राज्याँश हेतु व्यवस्था उपशीर्ष "89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश" के अन्तर्गत की गयी है । केन्द्र प्रायोजित योजनाओं से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत करते समय प्रशासकीय विभाग उक्त का संज्ञान लेंगे ।

(6) परियोजनाओं पर व्यय हेतु कार्यदायी संस्थाओं को उतनी ही धनराशि स्वीकृत की जाये, जितनी दिनाँक 31 मार्च, 2022 तक परियोजनाओं पर व्यय होने की सम्भावना हो । कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 22 मार्च, 2021 के प्रस्तर-2(9) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दो-दो माह की आवश्यकतानुसार धनराशि कोषागार से आहरित कर, कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाये ।

(7) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इन्हें दृष्टिगत रखते हुये वित्तीय स्वीकृतियों सम्बन्धी प्रस्ताव उपलब्ध कराये जायें ।

3- वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित अन्य दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में उल्लिखित वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 22 मार्च, 2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

भवदीया,

एस. राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या : 27/2021/बी-2-200(1)/दस-2021-244/2021, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2 महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
3 अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5 वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अधिकारी / व्यय-नियंत्रण अनुभाग ।
6 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
7 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
8 निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9 निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
10 निदेशक, प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ ।
11 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
12 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
13 गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव, वित्त ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।